न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– 01/19 दायर दिनांक:– 11.1.19

प्रार्थीगण:–

1. मुगनाराम पुत्र राजाराम जाट निवासी राजोद तह.जायल जिला नागौर।
2. महावीर पुत्र राजाराम जाट निवासी राजोद तह.जायल जिला नागौर।
3. रामस्वरूप पुत्र राजाराम जाट निवासी राजोद तह.जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी

1– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थीगण की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16.08.2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम राजोद के निवासी है। प्रार्थीगण के ग्राम राजोद में खेत खसरा नम्बर 1220/549 रकबा 5 बिस्वा ,ख.न. 1222/549 रकबा 5 बिस्वा व ख.न. 1221/549 रकबा 5 बिस्वा की खातेदारी भूमि स्थित है। जिसके चिपते ही सरकारी भूमि खसरा नम्बर 549 गैर मुमकिन मगरा स्थित है। प्रार्थीगण उक्त राजकीय भूमि मे से ही होकर ही अपनी भूमि मे आते–जाते है। लेकिन इस राजकीय भूमि का उपयोग रास्ता प्रयोजन नही है। डामर सडक से प्रार्थीगण को अपनी भूमि तक राजकीय भूमि खसरा नम्बर 549 किस्म गैर मुमकिन मगरा में से होकर रास्ता 50 फुट लम्बा व 30 फुट चौडा प्रार्थीगण के भूमि तक जाता है। उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी की दर से भूमि की सम्पूर्ण राशि प्रार्थीगण जमा कराने के लिये तैयार है जो राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है। हम प्रार्थीगण को हमारे खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक मौजा राजोद के खसरा नम्बर 549 गै.मु. मगरा में से कटाणी रास्ता 50 फुट लम्बा व 30 फुट चौडा आने जाने के लिये दिया जावे। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिससे हमें यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त रास्ता का राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाने का तहसीलदार जायल को आदेश को प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन किया

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

जा रहा है। इस भूमि में आने-जाने के लिये मौजा राजोद के खसरा नम्बर 549 में से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क अ से बी के अनुसार 50 फुट लम्बा व 30 फुट चौड़ा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार जायल व। जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र क्रमांक/भू.अ./2019/1781 दिनांक 01.07.19 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत करवाया कि प्रार्थीगण मौजा राजोद के खेत खसरा नम्बर 1220/549 रकबा 5 बिस्वा, ख.न. 1222/549 रकबा 5 बिस्वा व ख.न. 1221/549 रकबा 5 बिस्वा के खातेदार है जिसमें जाने के लिये राजकीय भूमि खसरा नम्बर 549 रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन में से 50 फुट लम्बा व 30 फुट चौड़ा रास्ता चाहा है जो प्रार्थीगण के सारांशानुसार खातेदारी भूमि के चिपता ही खसरा है नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक 50 फुट लम्बा व 30 फुट चौड़ा रास्ता जो चाहा गया है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के निकटतम दुरी पर पड़ता है तथा जिसका कुल रकबा 05 बिस्वा 3 बिस्वांसी बनता है तथा डी.एल.सी. रेट 19741 प्रतिबीघा के हिसाब से रकबा 05 बिस्वा 3 बिस्वांसी की 5084/- की रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि की कीमत दुगना प्रतिकर के रूप में 10168 रु. बनती है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः प्रार्थना-पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण मौजा राजोद के खेत खसरा नम्बर 1220/549 रकबा 5 बिस्वा, ख.न. 1222/549 रकबा 5 बिस्वा व ख.न. 1221/549 रकबा 5 बिस्वा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की मौजा राजोद के खेत खसरा नम्बर 549 गै.मु. मगरा में से नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक 50 फुट लम्बा 30 फुट चौड़ा रास्ता की मांग कर रहा है सो कटाणी रास्ते व प्रार्थीगण के खेत के चिपता खेत है तथा कटाणी रास्ते के निकटतम दुरी पर पड़ता है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुसार एक काश्तकार को उसकी भूमि में आने-जाने के लिए निकटतम दुरी पर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक प03(52)राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 द्वारा के अनुसार यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर यह समाधान हो जाने पर की मार्ग

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

की आवश्यकता है एवम् खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा सिफारिश की गयी भूमि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जा सकता है। पत्रावली व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि में आने-जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवागमन के लिये रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार जायल ने खसरा नम्बर 549 रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन मगरा मौजा राजोद में से किसी भूमि को रास्ते के लिए नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक निकटतम दुरी पर बताया है। जिस का रकबा 05 बिस्वा 03 बिस्वा बनता है। तहसीलदार जायल की रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है तथा रिपोर्ट मुताबिक रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर मौजा राजोद के खसरा नम्बर 549 रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैरमुमगरा में से 50 फुट लम्बा 30 फुट चौड़ा रास्ता रकबा 05 बिस्वा 03 बिस्वांसी मार्फिक नजरी नक्शा अनुसार मौजा राजोद के खेत खसरा नम्बर 1220/549 रकबा 5 बिस्वा में (50 गुणा 30 =1500 वर्ग फुट)यानि 1 बिस्वा 14 बिस्वांसी ख.न. 1222/549 रकबा 5 बिस्वा में (50 गुणा 30 =1500 वर्ग फुट)यानि 1 बिस्वा 14 बिस्वांसी व ख.न. 1221/549 रकबा 5 बिस्वा में (50 गुणा 30 =1500 वर्ग फुट)यानि 1 बिस्वा 14 बिस्वांसी मार्क A से B लाल स्याही से दर्शाये अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जावेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है की डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से जमा लेकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे तथा प्रार्थीगण से ली जाने वाली राशि को संबंधित सरकारी मद में जमा करावे। तहसीलदार जायल को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 16.08.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned by CamScanner